



216



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यपूर्वेशा ग्रामियर ।

प्रकरण क्रमांक

2018 निगरानी
I/ग्रामी छतरपुर/बृहत्पुर/2018/0449

शासकीय महाविद्यालय, लवकुशानगर,

झारा प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय,

लवकुशानगर, तहसील लवकुशानगर, जिला

छतरपुर ₹ ५००/-

श्री अग्रवाल जी ३३७
द्वारा आज दि. १५-१-१८ को
प्रस्तुत! प्रारंभिक दृक हेतु
दिनांक १८-१-१८ नियत।

— निगरानीकर्ता/ आवेदनकर्ता
आवेदक
बनाम

राजकूर तिवारी पुत्र स्व० श्री घतुरेश
तिवारी निवासी ग्राम ठहनगा, तहसील
लवकुशानगर, जिला छतरपुर ₹ ५००/-

— अनावेदक

आर. ए. श्री अवैदन
दि. १५-१-१८

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० भू-राठ संहिता 1959,

विश्व आवेदा दिनांक 17-11-2017 श्रीमान् बहतीलदार
महोदय तहसील लवकुशानगर, जिला छतरपुर ₹ ५००/- के प्रकरण
क्रमांक 11/अ-12/17-18 में पारित की ।

— ० —

श्रीमान् जी ,

निगरानी आवेदन निम्न पकार प्रस्तुत है :-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न पकार है :-

१४- यह कि, भूमि आराजी खारा नम्बर 619, 620,
621, 622 रकवा क्रमांक: 1.060 हेठो, 0.356 हेठो
0.421 हेठो, 0.408 हेठो स्थान ग्राम लवकुशानगर, तहसील
लवकुशानगर, जिला छतरपुर ₹ ५००/- शासकीय महाविद्यालय
लवकुशानगर, जिला छतरपुर ₹ ५००/- के स्वामित्व एवं
आधिकार्य को भूमि है। जिसमें महाविद्यालय में छात्र/
छात्राओं के पढ़ने हेतु भवन कायलियीन भवन तथा खेल का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा./ 2018 / 0449

शासकीय महाविद्यालय द्वारा लवकुशनगर विरुद्ध राजकपूर तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, तहसील लवकुशनगर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ—12/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 17—11—2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 05—11—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>  <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(जे.नरेन्जन जैन) सदस्य</p> </div>	